झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संकल्प

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के द्वारा वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रक्षेत्र में बड़े पैमाने पर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिनके सम्यक् अनुश्रवण किये जाने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर मुख्य अभियन्ता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन के अन्तर्गत एक कोषांग का गठन किया गया है।

इस कोषांग के गठन के समय यह अपेक्षा थी कि कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का सतत् अनुश्रवण करते हुए त्वरित रूप से इन योजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु ठोस एवं सार्थक प्रयास किये जाएंगे ताकि कार्यान्वित की जा रही योजनाओं को शीघ्र पूरा करते हुए निहित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

विभागीय समीक्षा के क्रम में यह पाया जा रहा है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कतिपय कारणों से बहुत शिथिल एवं धीमा है। इस क्रम में ससमय भू–अर्जन नहीं हो पा रहा है और न ही वन भूमि अपयोजन से संबंधित मामलों का त्वरित निराकरण हो पा रहा है।

यह भी पाया जा रहा है कि विभाग के द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के विरुद्ध लगभग 20 हजार करोड़ रू0 का बहुत बड़ा वित्तीय दायित्व होने के बावजूद प्रतिवर्ष विभाग के द्वारा एक योजना कार्यान्वयन में विसंगति के फलस्वरूप बड़ी राशि का प्रत्यर्पण कर दिया जाता है, जो वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कदापि उचित नहीं है।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया है कि विभागीय योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन कोषांग के द्वारा योजनाओं के स्वीकृत्यादेश एवं तत्संबंधी आवंटन आदेश निर्गत करने में अधिक समय व्यतीत किया जाता है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं का अनुश्रवण काफी अधिक प्रभावित होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में योजनाओं की स्वीकृति एवं आवंटन निर्गत किये जाने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गए हैं :

1. किसी क्षेत्र में चयनित योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराये जाने हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा उक्त परियोजना का Terms of Reference (TOR) तैयार कर अपने अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य

अभियंता से अनुमोदन कराते हुए मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची (CDO) को समर्पित किया जाएगा ।

2. मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची (CDO) के द्वारा प्राप्त TOR को मुख्यालय स्तर पर सूचीबद्ध किए गए समस्त सुपात्र परामर्शियों के बीच परिचारित (circulate) करते हुए अवधारणा प्रस्तुतिकरण (Concept Presentation) हेतु तिथि निर्धारित कर दी जाएगी ।
3. यथा निर्धारित तिथि को मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची (CDO) के स्तर पर यथागठित समिति के समक्ष इच्छुक सुपात्र परामर्शियों के द्वारा अवधारणा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तथा इस क्रम में प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रसंगाधीन परामर्शी द्वारा कार्य के विरुद्ध अपनी वित्तीय बीड (Bid) भी विधिवत् मुहरबन्द लिफाफे में जमा कर दी जाएँगी ।
4. मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची (CDO) के स्तर पर प्रस्तावित परामर्शी चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा :
   (i) रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के मुख्य अभियन्ता – अध्यक्ष
   (ii) संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता – सदस्य
   (iii) विभागीय अनुश्रवण कोषांग के कार्य0अभि0 से अन्यून पदाधिकारी – सदस्य
   (iv) जल संसाधन विभाग के द्वारा नामित उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी–सदस्य
   (v) संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता – सदस्य
   (vi) वित्त विभाग के यथा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
   (vii) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य
5. परामर्शी चयन समिति के द्वारा यथा निर्धारित विधि के अनुरूप परामर्शी का चयन करते हुए आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराया जाएगा।

   इस क्रम में मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची (CDO) के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 235 दिनांक– 18.03.19 में दिये गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराये जाने के उपरान्त सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची (CDO) के द्वारा संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को विभागीय अनुश्रवण कोषांग में समर्पित कर दिया जाएगा।

विभागीय अनुश्रवण कोषांग के द्वारा उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के आधार पर संलेख तैयार कर विभागीय विकास प्रशाखा (प्रशाखा–7) में समर्पित किया जाएगा।

7. विभागीय विकास प्रशाखा के द्वारा प्रसंगाधीन संलेख पर समुचित निर्णय लेने हेतु विभागीय सचिव से तिथि निर्धारित कराते हुए सप्ताह में कम–से–कम एक बैठक आयोजित करायी जाएगी।

   उक्त बैठक में विभागीय सचिव के अतिरिक्त अभियन्ता प्रमुख–I/II; मुख्य अभियन्ता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन; मुख्य अभियन्ता, CDO एवं प्रभारी पदाधिकारी विकास प्रशाखा उपस्थित रहेंगे।

8. विभागीय स्तर पर समीक्षोपरान्त की गई अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमण्डल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक– 301 दिनांक–11.03.15 का अनुपालन करते हुए उक्त योजना की स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।

9. सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय विकास शाखा के द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा, जिसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित को दी जाएगी।

   विभागीय विकास प्रशाखा के द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रत्येक योजना की पृथक संचिका संघारित की जाएगी, जिसमें उक्त योजना की विस्तृत विवरणी, संलेख, स्वीकृत्यादेश, समय–समय पर निर्गत किए गए आवंटनादेश तथा विभागीय अनुश्रवण कोषांग के द्वारा समर्पित योजना मासिक प्रतिवेदन को संघारित किया जाएगा।

10. निर्गत किये गए स्वीकृत्यादेश को दृष्टिगत् रखते हुए विभागीय अनुश्रवण कोषांग के द्वारा निविदा आमंत्रण, निविदा अंतिमिकरण, एकरारनामा, योजना का कार्यादेश, वार्षिक कार्य योजना तैयार कराते हुए समयबद्ध योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा।

    विभागीय अनुश्रवण कोषांग के द्वारा प्रत्येक योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय विकास प्रशाखा को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक समर्पित किया जायेगा।

11. क्षेत्रीय कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा योजना के कार्यान्वयन के क्रम में संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में वर्णित वित्तीय उपबंध को दृष्टिगत् रखते हुए आवश्यक राशि की अधियाचना विभागीय विकास शाखा में यथा निर्धारित विहित प्रपत्र में समस्त आवश्यक सूचनाओं के साथ समर्पित की जाएगी, जिसकी प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं विभागीय अनुश्रवण कोषांग को दी जाएगी ।

12. विभागीय विकास शाखा के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर अधिकतम तीन दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक आवंटन विमुक्त किया जाएगा, जिस क्रम में आवश्यकतानुसार विभागीय अनुश्रवण कोषांग से भी मंतव्य प्राप्त किया जा सकता है।
13. संबंधित अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियन्ता/विभागीय अभियंत्रण कोषांग यदि की गई आवंटन अधियाचना में कोई विसंगति पाता है तो ऐसी अधियाचना प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर विकास शाखा को सूचित करेंगे।

    विभागीय विकास शाखा के द्वारा ऐसी विसंगति का निराकरण करने के उपरान्त आवश्यक राशि विमुक्त की जाएगी।
14. विभागीय अनुश्रवण कोषांग से यह अपेक्षा की जाती है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक 34 दिनांक 09.01.19 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करे ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन में गति लायी जा सके एवं चिर लम्बित योजनाओं को तेजी से पूर्ण कराने की दिशा में ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
15. क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय तथा अन्य सम्बद्ध कार्यालयों के बीच सूचनाओं का आदान–प्रदान हार्ड कॉपी के अलावा विभागीय पत्रांक–1335 दिनांक–10.04.19 के आलोक में ई–मेल आधारित Internet के माध्यम से भी किया जाना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23.4.19

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 329 **/राँची, दिनांक :** 23/04/2019

प्रतिलिपि : विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–1 एवं 2/मुख्य अभियंता (मो०)/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/सभी वरीय अनुश्रवण पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/04/19

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव